

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 819 सन 2019

अनवान :-

1. जुगलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. पुष्पा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुमन पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 10/07/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 153/148 के प०न० 353/401(83) के किला न० 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.253 ,4/0.228 ,5/0.2020 ,6/0.227 ,7/0.253 ,8/0.253 ,9/0.253 ,प०न० 354/401(84) के किला न० 1 ता 3 की 0.7590हैक , 8 ता 13 की 1.518हैक कुल 4.3770हैक जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 179-1/2 हिस्सा तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 96/90 के प०न० 347/402(13) के किला न० 1 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 5.8190हैक जिसमें सुयक्त तौर से वादी के पिता का 105 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खारोदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरगाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाग से दर्ज भूमि उसके पिता छोगाराम वल्द खियाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। ईकवाल दावा तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 153/148 के 40न0 353/401(83) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.253 ,4/0.228 ,5/0.2020 ,6/0.227 ,7/0.253 ,8/0.253 ,9/0.253 ,40न0 354/401(84) के किला न0 1 ता 3 की 0.7590हैक , 8 ता 13 की 1.518हैक कुल 4.3770हैक जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 179-1/2 हिस्सा तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 96/90 के 40न0 347/402(13) के किला न0 1 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक कुल 5.8190हैक जिसमें सुयक्त तौर से वादी के पिता का 105 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा छोगाराम वल्द खियाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 153/148 के 40न0 353/401(83) के किला न0 1/0.228 ,2/0.228 ,3/0.253 ,4/0.228 ,5/0.2020 ,6/0.227 ,7/0.253 ,8/0.253 ,9/0.253 ,40न0 354/401(84) के किला न0 1 ता 3 की 0.7590हैक , 8 ता

अध्यक्ष (राजस्व)  
नोडर (हनुमानगढ़)

13 की 1.518हैक् कुल 4.3770हैक् जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 179-1/2 हिस्सा तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 96/90 के प0न0 347/402(13) के किला न0 1 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक् कुल 5.8190हैक् जिसमें सुयक्ता तौर से वादी के पिता का 105 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

नामान्तकरण के अनुसार वाद भूमि छोगाराम पुत्र खीयाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा छोगाराम पुत्र खीयाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा छोगाराम पुत्र खीयाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 153/148 के प0न0 353/401(83) के किला न0 1/0.228, 2/0.228, 3/0.253, 4/0.228, 5/0.2020, 6/0.227, 7/0.253, 8/0.253, 9/0.253, प0न0 354/401(84) के किला न0 1 ता 3 की 0.7590हैक्, 8 ता 13 की 1.518हैक् कुल 4.3770हैक् जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 179-1/2 हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमतन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 96/90 के प0न0 347/402(13) के किला न0 1 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैक् कुल 5.8190हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 का 105 हिस्सा दर्ज है का यथावत खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/7/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

(राजस्व)  
उपपरखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
मोहर (हिनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20. रूल 6-7 जाब्रा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवात :-

1. जुगलाल पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र छोगाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सुमन पुत्री रामेश्वर जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 819 सन 2019 निर्णय दिनांक- 10/07/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कौवर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सचुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 जेएसएन के खाता संख्या 153/148 के प0न0 353/401(83) के किला न0 1/0.228 .2/0.228 .3/0.253 .4/0.228 .5/0.2020 .6/0.227 .7/0.253 .8/0.253 .9/0.253 .प0न0 354/401(84) के किला न0 1 ता 3 की 0.7590हैव . 8 ता 13 की 1.518हैव कुल 4. 3770हैव जिसमें वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 179-1/2 हिस्सा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमतन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 15 जेएसएन ए के खाता संख्या 96/90 के प0न0 347/402(13) के किला न0 1 ता 23 प्रत्येक 0.253 हैव कुल 5.8190हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के 105 हिस्सा दर्ज है का यथावत खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/07/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) व )  
नोहर (हनुमानगढ़)  
नोहर (हनुमानगढ़)